नेहरू प्लेस टेलीफोन एक्सचेंज के अतंर्गत स्थापति किये गए टेलीफोन

*176. **श्री राजनाथ सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1996 में दौरान, नेहरू प्लेस टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा कितने नए टेलीफोन स्वीकृति किए गए तथा कितने वास्तविक रूप में स्थापति किए गए;

(ख) क्या यह सच हैं कि उपर्युक्त द्वारा जारी किए गए अधिकार टेलीफोन स्थापति नहीं हो पाए हैं;

(ग) यदि हो, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनकी शीघ्र स्थापना हेतु क्या कार्यवाही की जा रही हैं;

(घ) क्या जम्पर, केबल सेट आदि जैसे संसाधनों का अभाव इस स्थिति का प्रमुख कारण हैं; और

(ड) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1996 के दौरान नेहरू प्लेस टेलीफोन एक्सचेंज से सम्बद्ध अपेक्षित जानकारी का ब्यौरा इस प्रकार हैं :

1. नए टेलीफोन मंजूर किए : 16,787
2. वास्तव में संस्थापति किए गए टेलीफोन : 12,809
3. उपभोक्ता कारणों से कार्रवाई किए बिना वापिस किए गए (आरडब्ल्यूसी) मामले : 2,316

(ख) जी नहीं । 01.01.97 की स्थिति के अनुसार नेहरू प्लेस टेजीफोन एक्सचेंज में केवल 1,662 मामले निम्नलिखित कारणों से लंबित थे :-

1. कुछेक पॉकिटों में भूमिगत केवल उपलब्ध न होने के कारण संबंधित क्षेत्र का तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होना (टीएनएफ)

2. कुछेक विवादास्पद मामले जिनमें पार्टियों ने अपना निवास स्थान बदल लिया था या फिर उस पते पर नहीं मिल जहां के लिए नया टेलीफोन लगाने का आवेनद किया था ।

(ग) इस आश्य के सभा प्रयास जारी हैं कि भूमिगत केवल बिछाकर उन लंबित मामलों को व्यवहार्य बनाया जाए जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं । कुछेक पॉकिट, स्थानीय प्राधिकारियों से सड़क की खुदाई करने की अनुमति न मिलने के कारण अभी भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(ड़) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रशन नहीं उठता ।

Agreement between India and UK for transfer of convicted offenders

*177. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any agreement has been signed between India and U.K. for transfer of convicted offenders to facilitate their serving of sentences in their respective countries; and

(b) if so, the details- thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) and (b) The Government of India and Government of United Kingdom initialled an Agreement on Transfer of Convicted Offenders on January 16, 1997. The Transfer of Convicted Offenders Agreement can only be implemented once enabling legislation is passed by our Parliament. The Ministry of Home Affairs is in the process of finalising this legislation.

The Transfer of Convicted Offenders Agreement will facilitate the social rehabilitation of convicted offenders into their own societies as it would enable the offender to serve their sentence in their own country. This is a progressive approach, which is in line with the developing international trend in the treatment of prisoners.

STD facilities in Block Development Headquarters in Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and Orissa

*178. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the details of the Block Development Headquarters in Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and Orissa where STD facilities are available; and